



सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-आगरा-03

मालवीय पुस्तकालय बाजार योजना, जी०टी० रोड, अलीगढ़

E-mail : upavpalg@gmail.com



पंजांक

/ UPHDB / ENG-24/

दिनांक / / 2025

ई-निविदा सूचना/ई-अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद की ओर से उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत समान कार्य के अनुमती ठेकेदारों से टू-बिड पद्धति पर राज्य सूचना केन्द्र (NIC) की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in/nicgep/app> के माध्यम से क्रमांक-1 हेतु ई-अति अल्पकालीन निविदा सूचना निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऑनलाईन निविदायेँ आमन्त्रित की जाती है, जो निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खण्ड कार्यालयों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार खोली जायेंगी। कार्यों की मात्रायेँ बी०ओ०व्यू० के अनुसार होंगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की परिषद में वांछित पंजीकृत श्रेणी	खण्ड का नाम
1.	जनपद एटा के न्यायालय परिसर में निर्मित (जी+5) बहुमंजिला कोर्ट रूम भवन में 08 पैसिंजर एवं 16 पैसिंजर लिफ्ट को स्थापित करने का कार्य।	42.00	0.84	2500+ जी. एस.टी. 18 %	03 माह	श्रेणी-III विस्तृत कार्य हेतु	निर्माण खण्ड

निविदा से संबंधित विवरण	तिथि व समय
Document Download Start Date	14/08/2025 (03:00 PM)
Document Download End Date	25/08/2025 (03:00 PM)
Bid Submission Start Date	14/08/2025 (03:00 PM)
Bid Submission/Closing Date	25/08/2025 (03:00 PM)
Technical Bid Opening Date	26/08/2025 (01:00 PM)
Financial Bid Opening Date	After Valuation of Technical Bid

नियम व शर्तें:- ई-निविदा हेतु

- निविदा प्रोसेसिंग शुल्क व धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अलग-अलग निम्नलिखित विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। संबंधित आर०टी०जी०एस० के यू०टी०आर० नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमाने होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत् है:-

निविदा हेतु खाते का विवरण:-

NAME OF HOLDER : E.E., U.P. AVas Vikas Parishad, C.D.-33,
Malviya Pustkaly Market, G.T. Road, Aligarj

A/C No. : 50146034282

IFSC : IDIB000A566

Name of Bank : INDIAN BANK, RAILWAY ROAD, ALIGARH

- निविदा प्रोसेसिंग शुल्क/धरोहर धनराशि प्रोसेसिंग शुल्क से संबंधित आर०टी०जी०एस० के यू०टी०आर० नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।
- यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिव्योरिटी) जमा की है तो भी निविदा के साथ कुछ वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिव्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

4. निविदा प्रपत्र, परिषदकी वेबसाइट www.upavp.in के निविदा लिंक पर तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के संबंध में कोई संसोधन अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार/फर्मों द्वारा भी ऑनलाइन निविदा डाली जा सकती है।
5. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तों विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अनुबंध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जाएगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
6. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है जिसे लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व निविदादाताओं द्वारा स्थल निरीक्षण कर लिया जाये। बाद में स्थल सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा।
7. निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व इच्छुक निविदादाता/ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें तथा कार्यस्थल का जी0ओ0 टैगिंग फोटो अपलोड करना निवार्य होगा, क्योंकि बाद में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त क्लेम मान्य नहीं होगा।
8. निविदा की स्वीकृत की दशा में अनुबंध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टाम्प अनुबंध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
9. निविदादाताओं/फर्मों को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की जमानत धनराशि आयुक्त (म0) के कार्यालय आदेश संख्या-2539/अभियन्त्रण अनुभाग/परफॉमेन्स सिक्योरिटी/01 दिनांक 09.08.2021 के अनुसार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-आगरा-01/02/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा/अलीगढ़ के पक्ष में बनवाकर जमा करनी होगी।
10. अनुबंधन गठन की प्रक्रिया के दौरान या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि संबंधित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा एवं दण्ड के रूप में 'उकसी धरोहर धनराशि' जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
11. निविदादाता/फर्म द्वारा दिए गए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबंध गठन के बाद होती है तो अनुबंध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
12. निविदादाता/फर्म के सभी देयकों से आयकर, लेकबर सेस एवं अन्य कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की नियमानुसार कटौती की जायेगी।
13. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
14. जमानत धनराशि कार्य समाप्ति अथवा सम्बन्धित विभाग को हस्तगत की तिथि, जो भी बाद में हो, से एक वर्ष के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी। शासनादेश के अनुसार डिफैक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद तीन वर्ष तक होगी, जिसके लिये कार्य की लागत का 1.00 प्रतिशत जमानत धनराशि तत्पश्चात् ही अवमुक्त की जायेगी।
15. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग/परिषद/उ0प्र0 जल निगम की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
16. जी0पी0डब्लू-9 फार्म अनुबंध का हिस्सा होगा तथा उसमें उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।
17. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाएगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित ब्यूमूलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा।
18. निविदादाता की निविदा के साथ निर्धारित वैध प्रमाण-पत्र (टी-4, टी-5, टी-6) की स्कैन की प्रति ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।
19. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
20. शासनादेश संख्या-522/23-2012-2 ऑडिट/08 टी0सी0-02 दिनांक 08206/2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 से Below दरें देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होंगी :-
 - (i) 10 प्रतिशत ठमसवू तक दर पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम ठमसवू दर पर।
 - (ii) 10 प्रतिशत से अधिक Below दर पर 1.200 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम Below दर पर।
न्यूनतम दरदाता द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि वित्तीय बिड खुलने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में एफ0डी0आर0 के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-आगरा-01/02/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा/अलीगढ़ के नाम बन्धक हो, जमा करानी होगी अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
21. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना करण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

22. सशर्ता निविदा मान्य होगी।
23. तकनीकी बिड के चेक लिस्ट के अनुरूप मांगे गये सभी दस्तावेज को अपलोड करने पर ही दरें मान्य होंगी तथा चेकलिस्ट के अतिरिक्त वांछित किसी प्रपत्र की अपूर्णता पाये जाने पर भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज यदि सही नहीं पाये जाते हैं, तब प्रथम न्यूनतम दरों पर भी विचार नहीं किया जायेगा।
24. धनराशि शासन से प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जायेगा। शासन से धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने पर कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
25. किसी भी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र नियंत्रक अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय जनपद में अर्थात् आगरा वृत्त हेतु जनपद आगरा होगा।
26. स्किल्ड एवं नॉन स्किल्ड श्रमशक्ति (मान संसाधन) का पंजीकरण कराने, ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 की व्यवस्था ठेकेदार/फर्म द्वारा अपने स्तर से स्वयं की जायेगी, जिसे लिये परिषद की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
27. परिषद द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किये गये सामग्री की ब्राण्ड सूची के अनुसार सामग्री कार्य में प्रयोग की जायेगी।
28. निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारूप में रु० 100/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रु० 1/- का हस्ताक्षरित रेवेन्यू स्टाम्प निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
29. निविदादाता को कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्सम्बन्धी कार्य हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।
30. ई-निविदा अपलोड करते समय सक्षम स्तर से निर्गत वैध चरित्र प्रमाण-पत्र एवं वैध हैसियत प्रमाण-पत्र तथा वैध लेबर पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
31. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य देवी आपदा के कारण किसी भी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
32. प्रस्तावित कार्य स्थल पर भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में यदि अन्यत्र भूमि उपलब्ध करायी जाती है, तो कार्य ई-निविदा में दी गयी दरों पर ही करना होगा। इस सम्बन्ध में फर्म/ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
33. ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं की जिम्मेदार होगी। परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-आगरा-03
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
अलीगढ़

पृ0सं0:- 1212 / ENJ-24/126 दि०: 08.08.2025

प्रतिलिपित:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता (म०), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, अवधविहार/वृन्दावन/प्रोजेक्ट/आयोध्या/बागपत/बुन्देलखण्ड/गाजियाबाद/गोरखपुर/वाराणसी/कानपुर/लखनऊ/मेरठ/प्रयागराज/रुहेलखण्ड, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. अधिशाली अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निविदा की सूचना को परिषद की वेबसाइट पनर प्रसारित करने का कष्ट करें।
4. अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड आगरा-01/02/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा/अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित है कि निविदादाताओं को उपरोक्तानुसार तिथियों से पूर्व राज्य सूचना केन्द्र (NIC) की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. नोटिस बोर्ड।


अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-आगरा-03
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
अलीगढ़